



# भारत का राजपत्र

# The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 252]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 19, 2018/पौष 29, 1939

No. 252]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 19, 2018/PAUSH 29, 1939

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जनवरी, 2018

**का.आ. 290(अ).**—क्यर उद्योग नियमावली, 1954 के नियम 4 और 5 के साथ पठित क्यर उद्योग अधिनियम, 1953 (1953 का 45) की धारा 4 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार द्वारा श्री जी.एम. सिद्धेश्वर, संसद सदस्य, लोक सभा को सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 29 सितम्बर, 2018 तक की अवधि के लिए क्यर बोर्ड का सदस्य नियुक्त किया जाता है और इस उद्देश्य के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 30 सितम्बर, 2015 की अधिसूचना सं का.आ. 2677(अ) में निम्नलिखित संशोधन करती है, नामत:-

2. उक्त अधिसूचना में, श्रीष्ठ श्रेणी-(ई) के अंतर्गत, क्रम संख्या 1 तथा उससे संबंधित प्रविष्टि के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत:-

श्रेणी – (ई)

क्रम संख्या	नाम और पता
“1.	श्री जी.एम. सिद्धेश्वर, संसद सदस्य, लोक सभा, सफदरजंग लेन सं. 2, नई दिल्ली।”

[फा. सं. 6 (2)/2014-क्यर]

बी. एच. अनिल कुमार, संयुक्त सचिव

**पाद टिप्पणी:** मूल अधिसूचना दिनांक 30 सितम्बर, 2015 की सं. का.आ. 2677(अ) के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई तथा बाद में उसे दिनांक 24 अक्टूबर, 2016 की सं. का.आ. 3284(अ.) तथा 16 अक्टूबर, 2017 के का.आ. 3351(अ) के तहत संशोधित किया गया।

**MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES**  
**NOTIFICATION**

New Delhi, the 18th January, 2018

**S.O. 290(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 4 of the Coir Industry Act, 1953 (45 of 1953), read with rules 4 and 5 of the Coir Industry Rules, 1954, the Central Government hereby appoints Sh. G.M. Siddeshwara, Member of Parliament, Lok Sabha to be a member of the Coir Board for a period up to 29<sup>th</sup> September, 2018 with effect from the date of publication of this notification in the official Gazette and for the said purpose, makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, number S.O. 2677(E), dated the 30<sup>th</sup> September, 2015, namely:-

2. In the said notification, under the heading Category-(e), for Serial number 1 and the entry relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

Category-(e)

Sl.No.	Name and address
“1	Sh. G.M. Siddeshwara, Member of Parliament, Lok Sabha, Safdarjung Lane Number 2, New Delhi.”

[F. No. 6 (2)/2014-Coir]

B. H. ANIL KUMAR, Jt. Secy.

**Foot Note:** The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II Section3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 2677(E), dated the 30<sup>th</sup> September, 2015, and subsequently amended *vide* number S.O. 3284(E), dated the 24<sup>th</sup> October, 2016 and S.O. 3351(E), dated the 16<sup>th</sup> October, 2017.